संचालक पिल्खा क्षीर उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सिलफिली, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

विज्ञप्ति

सूरजपुर जिले के ग्राम सिलफिली में पिल्खा क्षीर डेयरी प्लांट परिसर में स्थित पिल्खा क्षीर मिल्क पार्लर का संचालन कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति को दिया जाना है जिसके लिए निम्नलिखित शर्तो पर पिल्खा क्षीर मिल्क पार्लर सिलफिली के संचालन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. पिल्खा क्षीर मिल्क पार्लर संचालन हेतु मासिक किराया प्रतिमाह निविदाकार द्वारा अपनी स्वेच्छानुसार उल्लेखित किया जावेगा। जिस निविदाकार द्वारा सर्वाधिक मासिक किराया उल्लेखित किया जावेगा उसे मिल्क पार्लर का संचालन आबंटित किया जावेगा तथा मासिक किराया प्रत्येक माह के 5 तारीख तक पिल्खा क्षीर डेयरी प्लांट के खाते में नेफ्ट करना अनिवार्य होगा।
2. पिल्खा क्षीर मिल्क पार्लर हेतु अमानती राशि कम से कम रू0 150000.00 (शब्दों में रू0 एक लाख पच्चास हजार मात्र) है तथा अधिकतम अमानती राशि देने वाले फर्म को मिल्क पार्लर आबंटित किया जावेगा। अमानत राशि प्रदाय करने हेतु पत्र बंद लिफाफा में आवेदन पत्र के साथ जमा कराया जावेगा।
3. अनुबंध 01 वर्ष का होगा एवं अनुबंध के पूर्व अमानत राशि संचालक पिल्खा क्षीर सहकारी समिति मर्यादित सिलफिली, जिला सूरजपुर (छ0ग0) के नाम से डी.डी. जमा करना होगा।
4. मिल्क पार्लर मे सिर्फ पिल्खा क्षीर डेयरी प्लांट का दूध एवं दुग्ध उत्पाद का ही उपयोग किया जावेगा। बाहरी दूध एवं दुग्ध उत्पाद का उपयोग एंव विक्रय पूर्णतः वर्जित रहेगा।
5. मिल्क पार्लर में बिजली बिल, साफ सफाई एवं मिल्क पार्लर के सभी सामाग्रियों का देख रेख एवं सुरक्षा तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित की होगी।
6. मिल्क पार्लर में बाहरी खाद्य पदार्थो की बिक्री करना प्रतिबंधित रहेगा।
7. मिल्क पार्लर संचालन हेतु पिल्खा क्षीर डेयरी का अधिकृत विक्रेता बनना एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन कराने के लिए पिल्खा क्षीर डेयरी प्लांट के नियम एवं शर्तो का पालन करना होगा।
8. मिल्क पार्लर में उपलब्ध सामाग्रियों की क्षति होने पर उस सामाग्री की वर्तमान कीमत संबंधित को जमा कराना होगा।
9. मिल्क पार्लर संचालक को गार्डन एवं गार्डन पर बने पगोड़ो पर कोई अधिकार नहीं होगा।
10. मिल्क पार्लर हेतु विद्युत कनेक्शन पृथक से लेना संचालक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
11. उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं करने पर अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंधन समिति पिल्खा क्षीर डेयरी प्लांट के पास सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त नियम एवं शर्तो पर इच्छुक व्यक्ति आवेदन का प्रारूप प्रबंधक पिल्खा क्षीर उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सिलफिली, जिला सूरजपुर छ0ग0 अथवा जिले की वेबसाईट www.surajpur.gov.in से दिनांक 12.09.2019 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त कर सकते है तथा आवेदन संचालक पिल्खा क्षीर डेयरी उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सिलफिली, जिला सूरजपुर (छ0ग0) के नाम से प्रबंधक पिल्खा क्षीर डेयरी प्लांट सिलफिली के पास दिनांक 15.09.2019 को सायं 5.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। इसके उपरान्त जमा किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

संचालक
पिल्खा क्षीर उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित
सिलफिली, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

मिल्क पार्लर संचालन हेतु आवेदन पत्र – प्रारूप क

1 मिल्क पार्लर संचालक का नाम – ....

2 स्थाई पता..

....

3 योग्यता/व्यवसाय संबंधी अनुभव ....

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4. जमा की जाने वाली अमानत की राशि ....

5. आधार नम्बर (परिचय पत्र)...

(छायाप्रति संलग्न करें)

मिल्क पार्लर संचालक के हस्ताक्षर एवं पता/मो. न.
सहित